भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **3066**
दिनांक 11 जुलाई , 2019 / 20 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

मनमाने हवाई किराए के विरुद्ध शिकायतें

3066. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:
श्री दिलीप साईकिया:
श्री संतोख सिंह चौधरी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या जनता से कई शिकायतें मिली हैं कि हवाई कंपनियां ग्राहकों से व्यस्त समय के दौरान मनमाने तरीके से किराया वसूल रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और
(ख) क्या विमानन टरबाइन ईंधन को माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा भारतीयों के लिए हवाई यात्रा सस्ती करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) जी हां। सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि एयरलाइनों द्वारा उच्च किराया वसूला जा रहा है। ऐसे अभ्यावेदन संबंधित एयरलाइनों द्वारा भी प्राप्त किए गए हैं। एयरलाइनों ने प्रतिउत्तर दिया है कि जनवरी, 2018 से मई, 2019 तक उन्हें कुल 159 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
प्रचलित विनियम के अनुसार, सरकार द्वारा ना तो विमान किराए को विनियमित किया जाता है ना ही निर्धारित किया जाता है। सभी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों के लिए यह अपेक्षित है कि वे लागू विनियमों के अनुपालन में अपने मार्गवार तथा श्रेणीवार किरायों को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करे। तथापि, पाारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) औचक आधार पर चयनित कतिपय मार्गों पर विमान किरायों की मॉनीटरिंग करता है ताकि एयरलाइन उनके द्वारा घोषित विमान किरायों से अधिक किराया न वसूलें। मॉनीटरिंग के दौरान यह देखा गया है कि एयरलाइनों के विमान किराए उनके द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए किराया बकेट के भीतर ही होते हैं।

(ख): विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को दिनांक 11 अक्तूबर, 2018 से 14 प्रतिशत से कम करके 11 प्रतिशत किया गया है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा कुछ हवाईअड्डों पर मूल्य संवर्धन कर (वेट) या बिक्री कर 29 से 30 प्रतिशत की दर से लगाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 279क(5) में प्रावधान है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद उस तिथि की सिफारिश करेगी जिस तिथि से पेट्रोलियम, कच्चे तेल, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस तथा एटीएफ पर जीएसटी लगाया जाएगा। इसलिए, एटीएफ को जीएसटी के अंतर्गत लाए जाने का निर्णय जीएसटी परिषद के अधिकारक्षेत्र में है। इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सरकार ने आरसीएस-उड़ान (क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना –उड़े देश का आम नागरिक) की अग्रणी योजना के माध्यम से सामान्य जनसाधारण के लिए विमान यात्रा को किफायती बना दिया है।

*****